न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 134/2017

श्री रघुनाथ पुत्र श्री मंगला, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जाजोता, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्री भोमा पुत्र श्री मंगला, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जाजोता, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ

.....रेस्पोडेन्टस

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

———

उपस्थित :– 1. श्री सुण्डाराम जाट, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री राकेश अरोड़ा, वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री हेमराज राठौड़, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक–29.01.2019

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील रूपनगढ के राजस्व ग्राम जाजोता स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 454 रकबा 18–08–00 बीघा एवं खसरा नम्बर 455 रकबा 11–15–00 बीघा के सहखातेदार श्री रघुनाथ पुत्र श्री मंगला, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जाजोता, तहसील रूपनगढ 1/2 हिस्सा व श्री भोमा पुत्र श्री मंगला, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जाजोता, तहसील रूपनगढ 1/2 हिस्सा द्वारा तहसीलदार रूपनगढ के समक्ष आपसी सहमति से अपनी खातेदारी कृषि भूमि का बंटवारा करने बाबत एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के पेश किया। तहसीलदार रूपनगढ द्वारा बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 22.03.2017 को निर्णय पारित किया। उक्त निर्णय अनुसार श्री रघुनाथ पुत्र श्री मंगला, जाति गुर्जर के हिस्से में खसरा नम्बर 454 रकबा 18–08–00 बीघा किस्म बंजर 1 व बारानी 2 एवं श्री भोमा पुत्र श्री मंगला, जाति गुर्जर के हिस्से में खसरा नंबर 455 रकबा 11–15–00 बीघा किस्म बारानी 2 व बंजर प्रथम बाबत बंटवारा स्वीकार किया गया जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1595 दिनांक 19.04.2017 से अपीलान्ट व रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में तहसीलदार रूपनगढ द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 19.04.2017 से अप्रसन्न होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

मियाद के बिंदु पर वकील अप्रार्थी द्वारा एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन कर अपील गुणावगुण पर निर्णित करने का निश्चय किया गया। हमने

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर

Scanned by CamScanner

उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील अपीलांट ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने ग्राम जाजोता, तहसील रूपनगढ स्थित खसरा संख्या 454 रकबा 18–08–00 बीघा व खसरा संख्या 455 रकबा 11–15–00 कुल किता 2 रकबा 30–03–00 बीघा कृषि भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमशः दिनांक 12.01.1979 व 09.01.1979 से संयुक्त रूप से क्रय की थी जिसका अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के नाम राजस्व रेकॉर्ड में बहिस्सा बराबर दर्ज करते हुए क्रमशः नामान्तरकरण 140 व 139 दिनांक 18.01.1983 तस्दीक कर स्वीकार किया गया है। तब से ही वादग्रस्त आराजियात पक्षकारान के नाम संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। दोनों पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में बराबर हिस्सा नीहित है एवं इसी अनुसार दोनों पक्षकार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उन्होने आगे कथन किया कि अपीलान्ट के ग्रामीण परिवेश का अनपढ व्यक्ति होने का फायदा उठाते हुए अपीलार्थी के भाई रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व उसके पुत्र के साथ मिलकर राजस्व कार्मिकों द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए आपराधिक षड़यन्त्र रचकर छल, कपट व कूटरचना कर अपीलान्ट की भूमि हड़पने के उद्देश्य से बंटवारा प्रस्ताव समझाये बिना प्रस्ताव पर उसके अंगूठा निशानी लगवाकर फर्जी बंटवारानामा तैयार किया जाकर धोखे से खसरा संख्या 454 की सम्पूर्ण भूमि रकबा 18–08–00 बीघा राजस्व रेकॉर्ड में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी एवं खसरा संख्या 455 रकबा 11–15–00 बीघा भूमि राजस्व रेकॉर्ड में अपीलान्ट के नाम दर्ज की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को इस प्रकार असमान हिस्सों का बंटवारा कर भूमि के हिस्से को कम ज्यादा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। ऐसे फर्जी व असमान बंटवारे की जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी तथा बंटवारे के सम्बन्ध में स्वतंत्र सहमति नहीं थी जो कि पूर्णतया विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त बंटवारा आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1595 दिनांक 19.04.2017 को तस्दीक/स्वीकार कर दिया गया है जो नियम विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। वकील अपीलान्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी की पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट एवं कब्जे की जांच करवाये बिना अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया है। उनका यह भी कथन है कि अपीलान्ट के अनपढ होने के कारण अपीलान्ट को बराबर बंटवारे की जानकारी देकर लिखापढी करते हुए 500/– रूपये के स्टाम्प पर धोखे से अंगूठा निशानी लगवाये गये। वकील अपीलान्ट ने आगे कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त धोखाधड़ीपूर्वक किये गये कृत्य की जानकारी होने पर राजस्व रेकॉर्ड की नकलें प्राप्त कर थानाधिकारी पुलिस थाना रूपनगढ व पुलिस अधीक्षक अजमेर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई तथा एक परिवाद भारतीय दण्ड संहिता अन्तर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471, 119, 166, 120बी व 34 प्रस्तुत किया। इस परिवाद को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम वर्ग) किशनगढ द्वारा अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस थाना रूपनगढ को भिजवाया जिसके आधार पर प्रथम सूचना संख्या 0138 दिनांक 15.09.2017 दर्ज कर अनुसंधान किया गया। अन्त में उन्होने कथन किया कि आक्षेपीय आदेश न्याय के सहज व प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत आक्षेपीय नामान्तरकरण संख्या 1595 दिनांक 19.04.2017 निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। पक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपसी सहमति के आधार पर भूमि विभाजन प्रार्थना पत्र एवं बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बंटवारा प्रस्ताव एवं 500/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति पत्र प्रस्तुत किया है जिस पर पक्षकारान के सहमति स्वरूप अंगूठा निशानी अंकित है एवं फोटोग्राफ भी चस्पा है। सहमति पत्र एवं नक्शा ट्रेस में अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की हिस्सा भूमि को पृथक–पृथक रंग से दर्शाया गया है जिस पर गवाहान के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित है। उक्त दस्तावेजों की तस्दीक तहसीलदार रूपनगढ द्वारा की गई है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहमति बंटवारा आदेश दिनांक 22.03.2017 पारित करते हुए उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1595 दिनांक 19.04.2017 स्वीकृत किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति के आधार पर नियमानुसार भूमि विभाजन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया। पक्षकारान द्वारा बंटवारा प्रस्ताव व सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं हिस्सा भूमि को पृथक–पृथक रंगो से दर्शाया गया, जिस पर उनके एवं गवाहान के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित है। साथ ही नक्शा ट्रेस में भी हिस्सा भूमि पृथक–पृथक रंगों में दर्शित होकर पक्षकारान व गवाहान द्वारा हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसी आधार पर सहमति बंटवारा आदेश दिनांक 22.03.2017 पारित किया गया जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 1595 दिनांक 19.04.2017 स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 29.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(एम0एल0 नेहरा)
अपर कलक्टर,
अजमेर

(एम. एल. नेहरा)
अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner